प्रारुप–3

भाग–2 (संबधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

1.	परियोजना या स्कीम की अवस्थिति	:	जनपद–उत्तरकाशी, विकासखण्ड–मोरी के अविद्युतीकृत ग्राम–सालरा का केन्द्र पोषित दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण का कार्य।
	(i) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	:	उत्तराखण्ड
	(ii) जिला	:	उत्तरकाशी
	(iii) जिला वन प्रभाग	:	उप वन संरक्षक टौन्स वन प्रभाग, पुरोला, उत्तरकाशी
	(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र	:	4.25 हे0
2.	पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति	:	वन विभाग का स्वामित्व
3.	अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा	:	
	(i) वनस्पति का धनत्व	:	0.2
	(ii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना	:	सूचना संलग्न
	(iii) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन	:	सूचना संलग्न
4.	भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा	:	सूचना संलग्न
5.	भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी	:	भू–वैज्ञानिक रिपोर्ट अनुसार
6.	वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी	:	वन भूमि के अन्तर्गत
7.	वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता	:	लागू नहीं
8.	पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा	:	लागू नहीं
	(i) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)	:	
	(ii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है,	:	नहीं

तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)

(iii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं) : नहीं

(iv) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जन्तु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे : नहीं

9. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें) : नहीं

10. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें : न्यूनतम भूमि की मांग की गई है।

(i) क्या भाग– 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। : हाँ।

(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लि ए उपयोग किया जा सकता है। :

11. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं) : नहीं

(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमग के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही : लागू नहीं है।

(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं) : नहीं

12. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे : क्षतिपूरक वृक्षारोपण संलग्न है।

(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति। : संलग्न है।

(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान : संलग्न है।

किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे व्यौरे दें।

(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्षित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न है। : संलग्न है।

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं। (हां/नहीं) : हाँ।

(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय : संलग्न है।

(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान कर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण–पत्र संलग्न हैं। (हां/नहीं)। : हाँ।

13. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)। :

14. प्रभाग/जिला प्रोफाइल : उत्तरकाशी

(1) जिला का भौगोलिक क्षेत्र : .....हे0

(2) जिला का वन क्षेत्र :

(3) मामलों की संख्या सहित 1980 से :

(4) वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र :

(5) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण :

(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि :

(ख) वनेत्तर भूमि पर ..... तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति :

(अ) वन भूमि पर :

(ब) वनेत्तर भूमि पर :

15. स्वीकृति या अन्यथा कारणो के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशें : स्थानीय जनता की सुविधाओं एवं क्षेत्र के विकास को मद्देनजर रखते हुये वन भूमि हस्तान्तरण की संस्तुति की जाती है।

स्थानः पुरोला
तारीखः 07-01-2010

हस्ताक्षर
नाम (आर० पी० मिश्रा)
शासकीय मोहर उप वन संरक्षक टौन्स वन प्रभाग, पुरोला